राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–5) 1167, 1168, 1169, 1170 व 1171/2016.....जिला.....भीलवाड़ा.....

उनवान : मैसर्स काल्या कंस्ट्रक्शन प्रा0 लिमिटेड, भीलवाड़ा

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'ए', भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य**	
01/06/2016	अपीलार्थी द्वारा ये पाँच अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन आदेश संख्या क्रमशः 01, 02, 03, 04 व 05/वेट/16–17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 21.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। सभी प्रकरणों में पक्षकार एवं विवाद्य बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलौच्य अवधियों में अपीलार्थी द्वारा निष्पादित किये गये कार्य संविदाओं के पेटे राज्य के बाहर से 'सी' फॉर्म के समर्थन से जे.सी.बी. मशीन, कम्प्रेशर, डम्पर, टायर व एण्ड ट्यूब, बिट हैमर, चेनल प्लेट, ऑयल ल्यूब्रिकेन्ट आदि माल आयात किया गया। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'ए', भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 10ए के तहत दिनांक 16.12.2015 को पारित करते हुए, प्रकरणों में 'सी' फॉर्म्स का दुरूपयोग मानते हुए शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गईं, साथ ही वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में वसूली योग्य मांग राशि के स्थगन बाबत निवेदन किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.04.2016 से अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये गये तथा कुछ राशि पर स्थगन से इंकार किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :– **लगातार.....2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–5) 1167, 1168, 1169, 1170 व 1171 / 2016.....जिला.....भीलवाड़ा.....

उनवान : मैसर्स कल्या कंस्ट्रक्शन प्रा0 लिमिटेड, भीलवाड़ा

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'ए', भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

01 / 06 / 2016

अपील संख्या	आलौच्य अवधि	आरोपित शास्ति	चाहा गया स्थगन
1	2	3	4
1167 / 2016	2010–11	54,24,494	20,24,494
1168 / 2016	2011–12	22,62,298	9,62,298
1169 / 2016	2012–13	40,99,937	26,99,937
1170 / 2016	2013–14	32,04,055	32,04,055
1171 / 2016	2014–15	14,32,147	14,32,147

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री वी. सी. सोगानी तथा प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील व स्थगन आधारों पर विचार करने के उपरान्त, **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए सभी प्रकरणों में वसूली योग्य मांग राशि **(उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 4 अनुसार)** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह की अवधि में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

उपरोक्तानुसार पाँचों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

01.06.2016

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर